

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1  
संख्या-578/71-1-14-जी-66/2014  
लखनऊ : दिनांक 7 मार्च, 2014

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरुद्ध प्रवक्ता, सामान्य सर्जरी विशिष्टता में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-188/24/सेवा-8/2012-13, दिनांक 20.12.2013 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 14 अभ्यर्थियों को वेतन बैण्ड रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 5400/- में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को प्रवक्ता के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर प्रदत्त शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - (2) संबंधित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
  - (5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 तथा यथासंशोधित नियमावली के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परीवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगे:-

- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र (संलग्न प्रारूप में)।
- (2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र (संलग्न प्रारूप में)।
- (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।
- (4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
- (5) चल तथा अचल संपत्ति का प्रमाण-पत्र।
- (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।



3- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाएगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

बी० एस० भुल्लर  
प्रमुख सचिव

संख्या-670(1)/71-1-13, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर डाल दे।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झॉसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर, जालौन, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर।
4. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झॉसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर, जालौन, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद।
6. वित्त नियंत्रक, संबंधित मेडिकल कालेज, झॉसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर, जालौन, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( शिवराम त्रिपाठी )  
उप सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या:एम०ई०-2/2014/479-80

लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झॉसी/आगरा/मेरठ/इलाहाबाद/गोरखपुर/जालौन/सहारनपुर/अम्बेडकरनगर।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।


(के०के०गुप्ता)  
महानिदेशक



कार्यालय ज्ञाप संख्या- 520 / 71-1-14-जी-66 / 2014

दिनांक ५ मार्च, 2014 का संलग्नक

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	स्थायी निवास का जनपद	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम, जहाँ तैनाती की गयी है
1.	श्री पंकज कुमार सौनकिया	बी०एल० (B.L.)-2, वीरगंगा नगर, कानपुर रोड, झाँसी, उ०प्र०, पिन-284128	सामान्य	जालौन	मेडिकल कालेज, झाँसी
2.	श्री विकास चन्द्र मिश्र	211डी, नेहरू नगर-आपर्टमेंट, नियर पेट्रोल पम्प, आगरा, उ०प्र०, पिन-282003	सामान्य	आगरा	मेडिकल कालेज, आगरा
3.	श्री सत्येन्द्र कुमार	1401/1ए, अपोजिट ज्ञान स्थली, पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, झाँसी, उ०प्र०,	अन्य पिछड़ा वर्ग	झाँसी	मेडिकल कालेज, जालौन
4.	श्री नीरज त्रिपाठी	323/7, आलोपी बाग, इलाहाबाद, उ०प्र०, पिन-211006	सामान्य	इलाहाबाद	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
5.	श्री सौरभ पुरोहित	म०नं०-97, मुहल्ला-सनौरा, नगर-वरुआसागर, जिला- झाँसी, उ०प्र०, पिन-284201	सामान्य	झाँसी	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
6.	श्री अभिषेक जीना	द्वारा- डा० आर०पी० जीना, 27, डाक्टर इन्क्लेव, संक्षी नगर, फेज-3, नियर आरोग्य मन्दिर, गोरखपुर, उ०प्र० पिन-273004	सामान्य	गोरखपुर	मेडिकल कालेज, गोरखपुर
7.	श्री श्रवण प्रताप सिंह यादव	द्वारा रुद्र प्रताप यादव, 1843/बी, आर०टी०ओ० के पीछे, शिवाजी नगर, झाँसी, उ०प्र०।	अन्य पिछड़ा वर्ग	महोबा	मेडिकल कालेज, झाँसी
8.	श्री हिमांशु यादव	कमरा नं०-107, न्यू अनमैरिड पी०जी० हास्टल, एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०, रायबरेली रोड, लखनऊ, पिन-226014	सामान्य	आगरा	मेडिकल कालेज, आगरा
9.	श्री अरुण कुमार	म०नं०-4, सेक्टर-8, सर्वोदय हास्पिटल, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा, पिन-282007	अन्य पिछड़ा वर्ग	आगरा	मेडिकल कालेज, आगरा
10.	श्री जहीर अहमद	ग्राम-हशिना राज, पोस्ट-इन्दौरपुर, थाना-आलापुर, जिला-अम्बेडकर नगर, उ०प्र०, पिन- 224129	अन्य पिछड़ा वर्ग	अम्बेडकर नगर	मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर
11.	श्री राजेश यादव	मानस सिटी, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उ०प्र०	अन्य पिछड़ा वर्ग	गाजीपुर	मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर
12.	श्री वसीम अहमद	ग्राम-तीखा, पोस्ट-Phephna, जिला-बलिया, उ०प्र० पिन-277503	अन्य पिछड़ा वर्ग	बलिया	मेडिकल कालेज, मेरठ
13.	सुश्री आराधना सिंह	ए-38, निर्भय नगर, गैलाना रोड, निकट असोपा हास्पिटल, आगरा-7, उ०प्र०	सामान्य	आगरा	मेडिकल कालेज, आगरा





14	सुश्री कुशवाहा	रेनू	द्वारा डा० संतोष कुशवाहा, सीनियर रेजीडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी, बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर, उ०प्र०	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुशीनगर	मेडिकल गोरखपुर	कालेज,
----	-------------------	------	---	---------------------	---------	-------------------	--------

  
 ( शिवराम त्रिपाठी )  
 उप सचिव